



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022023-243337
CG-DL-E-02022023-243337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2023/माघ 12, 1944

No. 452]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023/ MAGHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

का.आ. 467(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1148 (अ) तारीख 14 मार्च 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 2, खण्ड - 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में अन्नमय्या जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 29.031 कि.मी. से 101.620 कि.मी (कडपा से रेनिगुंटा सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चार लेन का बनाने / चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18 मार्च 2022 " को "दि हान्स इंडिया" और "आंध्र ज्योति" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

तदनुसार, केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में क्रमांक का.आ. 2455 (ई) तारीख 30 मई 2022 में संयुक्त कलेक्टर, अन्नमय्या को तत्कालीन वाई एस आर कडपा जिलों से अन्नमय्या में पड़ने वाले गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 29.031 कि.मी. से 101.620 कि.मी. तक (कडपा से रेनिगुंटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: अन्नमयया			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पुल्लमपेटा				
	गांव का नाम: रेड्डीपल्ले				
1	1123	निजी	ड्राई	0.016188	कटिकाम वेंकटरमण (११२३/१)
2	1183/2	सरकारी	डोटेड ड्राए डिकेटी	0.048564	आलम यमनि (११८३/२)
3	1183/2	सरकारी	डोटेड ड्राए डिकेटी	0.044517	आलम शिवप्रसाद (११८३/२)
4	1484/1	निजी	ड्राई	1.31527	हिल (१४८४/१)
5	1485	निजी	ड्राई	3.89321	रिवर (१४८५)
6	1486/2	निजी	ड्राई	0.522063	गवर्नमेंट (१४८६/२)
7	2/2	निजी	ड्राई	0.024282	यार्राबोलू शंखर रेड्डी (२/२)
8	52/2	निजी	। ड्राई	0.008094	कोंडेती मानेमा (५२/२)
9	52/2	निजी	। ड्राई	0.008094	कोंडेती मुरली (५२/२)
10	527	निजी	ड्राई	0.068799	धुलिपाल्ला नागा प्रकाश राव (527/2बी)

11	528	निजी	ड्राई	0.044517	चिन्तू चिन्ना रेडुय्य रेडुडी (५२८/२)
12	53/4B	निजी	I ड्राई	0.0060705	ऊन आइडेंटिफाईड (५३/४बी)
13	59/1	निजी	ड्राई	0.008094	चिन्तू शंखर रेडुडी (५९/१)
14	6/2B1	निजी	I ड्राई	0.0105982	कोंडेती चंगम्मा (६/२बी२)
15	60/1	निजी	I ड्राई	0.016188	चिन्तू नदीपिरेडुय्य रेडुडी (६०/१)
16	65	निजी	ड्राई	0.016188	कोंडेती श्रीरामन (६५/२बी)
			कुल	6.0507367	

[फा. सं. PIU-TPT/18016/NH-716/3a/2019/278 Kadapa District/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

S.O. 467(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.1148(E) dated 14th March 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 716 on the stretch of land from Km. 29.031 to Km. 101.620 (Kadapa to Renigunta section) in the district of Annamayya in the State of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*THE HANS INDIA*” and “*ANDHRA JYOTHI*” both dated 18th March 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent Authority;

Govt. of Andhra Pradesh restructured / formed new Districts from 13 Districts to 26 Districts and out of these Districts; Annamayya is one of the new Districts. Accordingly, Central Government authorized Joint Collector, Annamayya as Competent Authority for Land Acquisition for the villages falling in Annamayya District from erstwhile Y.S.R Kadapa District by the Notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2455(E) dated 30th May 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), dated 30th May 2022.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 29.031 to Km. 101.620(Kadapa to Renigunta section) on the National Highway No. 716 in the district of Annamayya in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: Annamayya		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pullampeta				
	Village: Reddipalle				
1	1123	Private	DRY	0.016188	Katikam Venkataramana 1123/1
2	1183/2	Government	Dotted Dry DKT	0.048564	Alam Yamani 1183/2
3	1183/2	Government	Dotted Dry DKT	0.044517	Alam Shivaprasad 1183/2
4	1484/1	Private	DRY	1.31527	Hill 1484/1
5	1485	Private	DRY	3.89321	River 1485
6	1486/2	Private	DRY	0.522063	Government 1486/2
7	2/2	Private	DRY	0.024282	Yarrabolu Shankhar Reddy 2/2
8	52/2	Private	I Dry	0.008094	Kondeti Manemma 52/2
9	52/2	Private	I Dry	0.008094	Kondeti Murali 52/2
10	527	Private	DRY	0.068799	Dhulipaalla Naga Prakash Rao 527/2B
11	528	Private	DRY	0.044517	Chinthu Chinna Reddaiah Reddy 528/2
12	53/4B	Private	I Dry	0.0060705	Un Identified 53/4B
13	59/1	Private	DRY	0.008094	Chinthu Shankhar Reddy 59/1
14	6/2B1	Private	I Dry	0.0105982	Kondeti Changamma 6/2B2
15	60/1	Private	I Dry	0.016188	Chinthu NadipiReddaiah Reddy 60/1
16	65	Private	DRY	0.016188	Kondeti Sreeramana 65/2B
			TOTAL	6.0507367	

[F. No. PIU-TPT/18016/NH-716/3a/2019/278 Kadapa District/3D]

RAJESH GUPTA, Director